**भारत सरकार**

**पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 28**

**24.11.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्वच्छ पेयजल**

**28- Jh eulq[k ,yñ ekaMfo;k%**

**D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

¼d½ D;k laln ds vf/kfu;e ds ek/;e ls ns'k ds izR;sd ukxfjd dks xq.koÙkk;qDr is;ty dh lqfo/kk vFkkZr~ LoPN is;ty dk vf/kdkj iznku djus dk izLrko gS(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa(

¼x½ D;k ekWulwu ds nkSjku gky esa o"kkZ dh vizR;kf'kr deh dks /;ku esa j[krs gq, ljdkj jkT; ljdkjksa ds ijke'kZ ls fofHkUu jkT;ksa esa is;ty gsrq vfuok;Z ty HkaMkj cukus ds fy, dk;Z dj jgh gS( vkSj

¼?k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj bl eqís dh v|ru fLFkfr D;k gS\

**उत्तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) और (ख): वर्तमान में मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित जलापूर्ति के साथ कवर करने के संबंध में निम्नलिखित लक्ष्य तथा विजन और कार्यनीति योजना को अपनाया है।

* लक्ष्यःप्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना बनाने तथा अन्य घरेलू मूलभूत जरूरतों के लिए निरंतर आधार पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में जल गुणवत्ता के न्यूनतम मानक पूरा किए जाने चाहिए और जल हर समय और सभी स्थितियों में सुगमता तथा सुविधाजनक रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
* विजनः ग्रामीण भारत में, सभी के लिए हर समय, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।
* कार्यनीति योजनाः

वर्ष 2017 तकः

* + यह सुनिश्चित करना कि न्यूनतम 50% ग्रामीण परिवारों में पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध हो जिसमें कम से कम 35% को घरेलू जल कनैक्शनों तथा शेष को हैण्डपंपों तथा अन्य माध्यम से जल उपलब्ध हो।

वर्ष 2022 तकः

* + यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 90% ग्रामीण परिवारों में पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध हो जिसमें 80% को घरेलू जल कनैक्शनों तथा शेष को हैण्डपंपों तथा अन्य माध्यम से जल उपलब्ध हो।

इसके लिए, मंत्रालय राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ): जल राज्य का विषय है। उन्हें जलापूर्ति स्कीमों के लिए आयोजना, अनुमोदन तथा उसके कार्यान्वयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। मॉनसून के दौरान अभूतपूर्व वर्षा की कमी की स्थिति से निपटने के लिए स्रोतों के स्थायित्व हेतु, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 10% निधियों का प्रावधान है जिसे, जल के स्रोतों की वृद्धि/ रख-रखाव के लिए, राज्यों को दिया जाता है। इसके अलावा, जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2012 की राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत, देश के सभी जल निकायों से पीने के उद्देश्य से जल के उपयोग को पहली प्राथमिकता दी गई है।

\*\*\*\*\*\*\*